1

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला ए.सी.बी पाली–द्वितीय। थाना : ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.सं. 247/23 दिनांक 15/9/2023
2. (1) 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
(2) अधिनियम – धारायें –
(3) अधिनियम – धारायें –
(4) अन्य अधिनियम व धाराये –
3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या 305 समय 4:10 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन–बुधवार, दि–26.07.2023 व सोमवार, दि.–31.07.2023
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक –24.07.2023, समय.– 12:30 पीएम।
4. सूचना किस्म :– लिखित।
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बरूख उत्तर–पूर्व ब्यूरो चौकी पाली से करीब 90 कि.मी.।
(ब) पता :– पुलिस थाना पीपाड़ जिला जोधपुर।
बीट सख्या – जरायमदेही सं. –
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना – जिला –
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री बिरमाराम।
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री घेवरराम।
(स) जन्म तिथि....... 48 साल।
(द) राष्टीयता,:– भारतीय
(द) पासपोर्ट सख्या – जारी होने की तिथि –
जारी होने की जगह –
(र) व्यवसाय :– कृषक।
(ल) पता:– ग्राम बांकलिया ग्राम पंचायत बुचकला पुलिस थाना पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1. सुमन कुमारी पुत्री श्री खिराजराम उम्र 36 वर्ष पेशा नोकरी निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण।
8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– शून्य
9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)
10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :–
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोटे) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला स) (यदि कोई हो तो) :–
12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :–

p.T.O.

Scanned with CamScanner

सेवामें

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
एसीबी पाली द्वितीय।

विषय– रिस्वत लेते हुए पकडवाने के लिये रिपोर्ट।

श्रीमान जी निवेदन है कि मैं विरमाराम पुत्र श्री घेवरराम जाति माली निवासी बाकलियां ग्राम पंचायत बुचकला पुलिस थाना पिपाड शहर जिला जोधपुर का निवासी हुं, मेरे खिलाफ व मेरे परिवार के अन्य सदस्य मेरा पुत्र राकेश व मेरे भाई के पुत्र दिनेश, गौतम तथा मेरे भाई खियाराम, जयराम के खिलाफ पुलिस थना पीपाड शहर में मेरे दादाई परिवार के परसाराम पुत्र फुवाराम के द्वारा हमारी जमीन को हडपने को लेकर जुठा मुकदमा दर्ज करवाया। मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमें मे अनुसंधान पुलिस थाना के एस.आई. सुमन चौधरी द्वारा मेरे पुत्र व भतीज के नाम इस मुकदमे में से निकालने के लिए मेरे से 12,000/– रिस्वत के मांगे है, मै मेरे व मेरे परिवार के सदस्यो के खिलाफ दर्ज झुठा मुकदमे में पुलिस अधिकारी सुमन चौधरी को रिस्वत नही देना चाहता हुं तथा रिस्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी एस आई सुमन चौधरी से कोई रंजीस नहीं है तथा ना ही कोई रूपयो–पेसो का लेन–देन बकाया है। रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें।

हस्ताक्षर
भवदीय
बिरमाराम/घेवररामजी जाति माली,
निवासी : बाकलियां, ग्राम पंचायत
बुचकला जिला जोधपुर।
मो. 9799093852

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 24.07.2023 को मन् पारस सोनी अति. पुलिस अधीक्षक को सूत्रो से गोपनीय कार्यवाही की सूचना मिली। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा जोधपुर कलेक्टर परिसर में सूत्रों से संपर्क किया तो वहा पर मुझे परिवादी श्री बिरमाराम मिला। परिवादी श्री बिरमाराम नें मन् अति. पुलिस अधीक्षक को एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि "मै बिरमाराम पुत्र श्री घेवरराम जाति माली निवासी बांकलिया ग्राम पंचायत बुचकला पुलिस थाना पिपाड शहर जिला जोधपुर का निवासी हूं। मेरे व मेरे परिवार के अन्य सदस्य मेरा पुत्र राकेश व मेरे भाई के पुत्र दिनेश, गौतम, तथा मेरे भाई खियाराम जयराम के खिलाफ पुलिस थाना पीपाड शहर में मेरे दादाई परिवार के फरसाराम पुत्र फुवाराम के द्वारा हमारी जमीन को हडपने को लेकर झुठा मुकदमा दर्ज करवाया। मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमें में अनुसंधान पुलिस थाना के एसआई सुमन चौधरी द्वारा मेरे पुत्र व भतीज के नाम इस मुकदमें से नाम निकालने के लिए मेरे से 12000 रूपये रिश्वत के मांगे है। मै मेरे व मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज झुठा मुकदमें में पुलिस अधिकारी सुमन चौधरी को रिश्वत नही देना चाहता हूं तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी एस.आई सुमन चौधरी से कोई रंजीस नही है। तथा ना ही कोई रूपयों पैसों का लेन–देन बकाया है, रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावे। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछताछ करने पर परिवादी नें बताया कि हमारे खिलाफ दर्ज मुकदमें की तफ्तीश पुलिस थाने की एसआई सुमन चौधरी कर

Scanned with CamScanner

रही है। सुमन चौधरी हमारे खेत में मौके पर आई थी। सुमन चौधरी ने मुझे दूसरी दिन फोन करके थाने पर बुलाया जिस पर मै थाने गया तथा सुमन चौधरी से मिला तो उसने मेरे कागजात देखे और मैने मेरे लडके व भतिजे के नाम मुकदमें में झुठे लिखाने की बात कही तो उन्होने मुझे एकान्त में अलग कमरे में ले जाकर कहा कि नाम निकाल देंगे कितने रूपये दोगे और उन्होने ने मेरे से 45000 रूपये मांगे। जिस पर मैने कहा कि इतने रूपये तो मेरे पास नही है। उसके बाद हाथा जोडी करने पर सुमन मैडम 12000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होकर केवल तीन नाम निकालने के लिये सहमति दी। उसके बाद मै घर पर आ गया तथा मेरे लडके से रिपोर्ट लिखवा कर एसीबी में कार्यवाही करवाने के लिये आपके पास आया हूं। परिवादी की रिपोर्ट के अवलोकन एवं बाद पूछताछ के मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को निर्देशित किया कि आप यहां से निकलकर जोधपुर से पीपाड़ शहर की तरफ डांगियावास बाईपास पर मिलने वाली लिंक रोड़ पर उपस्थित मिले, जहां पर ब्यूरो कर्मी आपसे संपर्क कर लेगा तथा आपको एक रिकॉर्डर देगा। उसके बाद आप एस.आई. सुमन मैडम से मिलकर रिश्वत सम्बंधी वार्ता रिकार्ड की कार्यवाही करना तथा इस बारे में गोपनियता का पूरा ध्यान रखे। परिवादी को जाने की ईजाजत दी गई। तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो चौकी से श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. व अवतार सिह वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया गया था कि ब्यूरो का डिजीटल रिकार्डर लेकर जोधपुर उपस्थित आवे तथा मेरे से संपर्क करे। जिस पर श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. व श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक निर्देशानुसार ब्यूरो चौकी पाली से रवाना होकर कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर जोधपुर पहुचे तथा मन् अति. पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया कि परिवादी श्री बिरमाराम डांगियावास पर मिलने वाली लिंक रोड़ पर उपस्थित मिलेगा। जिससे संपर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी आवश्यक कार्यवाही करें। तत्पश्चात् श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक को कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर गोपनीय रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादी से संपर्क करने के लिये रवाना किया गया।

उसी रोज सांय 06:30 बजे श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक ने जरिये वॉटसअप कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि निर्देशानुसार डांगियावास पर मिलने वाली लिंक रोड़ पर पहुंचा, जहां परिवादी श्री बिरमाराम उपस्थित मिला, जहां से मैं व परिवादी श्री बिरमाराम रवाना होकर पीपाड़ शहर पहुंचे। पीपाड़ पहुँच आरोपिया सुमन एस0आई0 द्वारा पूर्व में तय रिश्वत राशि 12,000 रूपये रिश्वती राशि में 5,000 रूपये लेकर परिवादी को गोपनीय सत्यापन हेतु वॉयस रिकार्डर चालू कर पुलिस थाना पीपाड़ भेजा तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पुलिस थाना पीपाड के बाहर खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री बिरमाराम मेरे पास आया एवं ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया, जिसको मैने बन्द कर अपने पास रखा। परिवादी नें मुझे बताया कि मैं पुलिस थाना में गया जहां सुमन एस0आई0 उपस्थित मिली। जिसने मेरे कार्य से सम्बंधित वार्ता की एवं मेरे द्वारा 5,000 रू देने का प्रयास किया गया परन्तु कम राशि देखकर आरोपिया ने नहीं लेकर कहां कल अपने पक्ष के गवाह लेकर आना फिर सभी साथ में ही लेंगे। जिस पर अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री अवतारसिंह को निर्देशित किया गया कि रिकार्ड वार्ता सुनकर हालात बतावे। जिस पर श्री अवतार सिंह नें पास में ही रिकार्डर को चालू कर स्वयं नें सुनते हुए फोन पर ही मन् अति. पुलिस अधीक्षक को भी रिकार्ड वार्ता सुनायी तो रिकॉर्डर में संदिग्ध लोकसेवक द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना नहीं पाया गया। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें परिवादी से वार्ता की तथा उससे कहा कि आपकी रिपोर्ट के क्रम में लोकसेवक द्वारा रिश्वत राशि की मांग नहीं की गई

Scanned with CamScanner

है। रिकॉर्डिंग वार्ता से यह तथ्य जरूर स्पष्ट है कि लोकसेवक रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत जरूर है, लेकिन अब तक की रिकॉर्डिंग से रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट नहीं है। जिस पर परिवादी श्री बिरमाराम नें बताया कि सुमन मेडम मेरे से रूपये जरूर लेगी, बिना रूपये लिये वो मेरे लड़के व भतीजो का नाम मुकदमें में से नहीं निकालेगी। एक–दो दिन रूककर मैं एक बार और उनसे मिलकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। परिवादी के बतायेनुसार मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की रिपोर्ट के कम में पुनः गोपनीय सत्यापन करने का निर्णय लिया जाकर श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया कि आप डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर जोधपुर आ जाये तथा परिवादी के संपर्क में रहे। परिवादी के बतायेनुसार पुनः उसके साथ जाकर सत्यापन कराने की कार्यवाही करें।

दिनांक 26.07.2023 को श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक नें मन् अति. पुलिस अधीक्षक को जरिये वाट्सऐप कॉल बताया कि मेरे पास परिवादी श्री बिरमाराम का वाट्सऐप कॉल आया, जिसनें बताया कि आज शाम के करीब 05–06 बजे सुमन मैडम नें गवाहो को लेकर मुझे पुलिस थाना पीपाड बुलाया है, आप आ जाओ तो मांग सत्यापन की वार्ता करवा सकते है। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक को गोपनीयता की हिदायत कर जोधपुर से ही पीपाड शहर जाकर परिवादी से संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। उसी रोज सांय 09:00 पी.एम. पर श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक ने जरिये वॉटसअप कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि निर्देशानुसार जोधपुर से पीपाड़ शहर गया तथा परिवादी श्री बिरमाराम से संपर्क किया। परिवादी श्री बिरमाराम नें मुझे बताया कि सुमन मैडम को उसके द्वारा मांगी गई रिश्वत मे से कुछ राशि मुझे उनको देनी पड़ेगी नहीं तो आज वो मेरे पर नाराज हो जायेगी, क्योंकि पिछली बार भी 5000 रूपये ही ले गया था तो उन्होने नहीं लिये तथा साथ में ही लेने का कहा था। आज मैं 10,000 रूपये लेकर जाउंगा तो वो मेरे से रूपये ले लेगी तथा शेष राशि की मांग भी कर लेगी। साथ ही परिवादी नें मुझे बताया कि मैने 10000 रूपये की व्यवस्था भी कर ली है, जो मैं साथ लेकर जाउंगा व मेरे पक्ष का एक गवाह साथ लेकर पुलिस थाना जाउंगा। जिस पर मैंने परिवादी के तथ्यो पर सहमति देते हुए कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस थाना पीपाड के लिये रवाना किया तथा मैं मेरी उपस्थिति छुपाते हुए पुलिसथाना से बाहर ही खड़ा रहा। लगभग डेढ घण्टा बाद परिवादी श्री बिरमाराम पुलिस थाना पीपाड़ से बाहर मेरे पास आया। जिससे मैने वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे में रखा। उसके बाद हम दोनो पुलिस थाना पीपाड़ से दुर एकान्त जगह पर गये, जहां परिवादी ने मुझे बताया कि मैं एवं मेरे पक्ष का गवाह श्री रमेश पुलिस थाना पीपाड़ के अन्दर गये। जहां पर सुमन मैडम उपस्थित मिली, जिन्होने हमे बैठने का कहा एवं काफी देर बाद गवाह श्री रमेश के बयान दर्ज किये। बयान दर्ज करने के बाद मेरे द्वारा 10,000 रूपये दिये तो उन्होने हाथ में नहीं लेकर एक कागज में रखवाये तथा कहां कि बाकी के दो हजार कब दोंगे। जिस पर मैने कहां कि साहब इतने में ही काम चला लो तो कहा कि नहीं, देने तो पडेंगे, तब मैने कहां ठीक है। तत्पश्चात् श्री अवतारसिंह ने परिवादी श्री बिरमाराम की मन् अति. पुलिस अधीक्षक से बात करवाई तो परिवादी नें भी श्री अवतारसिंह की बात की ताईद की। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें श्री अवतारसिंह को निर्देशित किया कि परिवादी को हिदायत करे की कार्यवाही की गोपनीयता बरते तथा दिनांक 28.07.2023 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000 रूपये सहित ब्यूरो कार्यालय पाली पर उपस्थित आवे। साथ ही श्री अवतारसिंह को निर्देशित किया कि कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमें रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को सुरक्षित लेकर ब्यूरो कार्यालय पाली में उपस्थित आवे। जिस पर अवतार सिंह नें बताया कि अब रात्री का समय हो गया है, मैं जोधपुर पहुंचने में ही

Scanned with CamScanner

अधिक रात्री हो जायेगी। इस कारण कार्यालय पर रात्री में नहीं पहुंच पाउंगा तथा जोधपुर ही रूकूंगा तथा दिनांक 27.07.2023 को कार्यालय हाजा में उपस्थित आउंगा।

दिनांक 27.07.2023 को श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया एवं मन् अति. पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। श्री अवतार सिंह नें ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्ड बन्द हालात में मन् अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किया एवं पूर्व में बताये तथ्यो की ताईद में कथन किये। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर रिकार्डिंग वार्ता को सुना तो श्री अवतारसिंह एवं परिवादी श्री बिरमाराम के कथनों की ताईद हुई तथा सुमन मैडम द्वारा परिवादी से 10,000 रूपये प्राप्त करना तथा शेष राशि 2,000 रूपये की और मांग करना पाया गया। रिकार्डर बन्द कर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा।

मन् अति. पुलिस अधीक्षक के अन्य राजकार्य एवं दिनांक 31.07.2023 को ब्यूरो मुख्यालय पर अपराध गोष्ठी होने से श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब किया एवं उनको परिवादी की मूल रिपोर्ट मय सलंग्न दस्तावेजात एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमें रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड थी, सुपुर्द कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस को बताया कि पूर्व हिदायत अनुसार परिवादी दिनांक 28.07.23 को ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय पर उपस्थित आ जायेगा।

दिनांक 28.07.2023 को श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस नें मन् अति. पुलिस अधीक्षक को अवगत कराय कि आज पूर्व हिदायत अनुसार परिवादी श्री बिरमाराम ब्यूरो कार्यालय पाली पर हाजिर आया एवं पुलिस निरीक्षक को अपना परिचय दिया। परिवादी से अग्रिम कार्यवाही के बारे में वार्ता की तो बताया कि सुमन चौधरी ने मेरे से 10,000 रूपये दिनांक 26.07.2023 को ले ली है तथा 2,000 रूपये रिश्वत राशि की और मांग की है। मैं 2,000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सुमन चौधरी को पकड़वाना चाहता हूँ। परिवादी नें बताया कि पीपाड़ में मोहरम त्योहार के कारण पुलिसकर्मी एक–दो दिन ड्यूटी पर रहेंगे, इसलिये सुमन चौधरी के मुझसे मिलने की संभावना नहीं है, इसलिये एक–दो दिन रिश्वत राशि का लेन–देन नहीं हो सकता है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी सुमन चौधरी रिश्वत राशि लेने के लिये आपसे संपर्क कर तो तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करावे। परिवादी के बताये तथ्यो के कम में अग्रिम कार्यवाही का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक नें रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड है, को परिवादी की उपस्थिति में कम्प्युटर के माध्यम से शब्द ब शब्द श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक से लिखवाना शुरू करवाया गया। संपूर्ण रिकॉर्डिंग वार्ता लिखने के पश्चात् गवाहान उपस्थित आने पर गवाह व परिवादी की मौजूदगी में पुनः रिकॉर्डिंग वार्ता को सुन–सुनकर लिखी गई वार्ता से मिलान करवाकर फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार करवायी जायेगी। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली के नाम तहरीर जारी कर गवाह श्री मोतीलाल पुत्र श्री सुजाराम जाति मेघवाल उम्र 29 वर्ष निवासी मेघवालो का बास सांपा पोस्ट भांगेसर तहसील व जिला पाली हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डिंगाई पंचायत समिति पाली, मोबाईल नं. 8209960497 एवं श्री रूपसिह पुत्र श्री शुभकरण सिंह जाति राजपुरोहित उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम भोजास पोस्ट बेणीसर तहसील श्रीडुंगरगढ जिला बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत गिरादड़ा जिला पाली मोबाईल नं. 9460035615 की ब्यूरो कार्यालय पर तलबी की गई। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो गवाहो का कार्यालय

Scanned with CamScanner

में उपस्थित परिवादी श्री बिरमाराम से परिचय करवाते हुए बुलाने के मन्तव्य बताते हुऐ परिवादी का रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया तथा मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश भी दोनो गवाहान को सुनाये गये। दोनो गवाहो नें परिवादी की रिपोर्ट पढकर एवं पूछताछ पश्चात् पूर्ण तसल्ली की। तत्पश्चात् दोनो गवाहो नें परिवादी की रिपोर्ट एवं मांग सत्यापन के कम में की जाने वाली अग्रिम गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने के लिये कहने पर दोनो नें मौखिक सहमति देते हुए परिवादी की रिपोर्ट पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी की उपस्थिति में पूर्व में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित वार्ता के शब्दो को हुबहु एक कागज पर लिखना शुरू किया गया था, में से जो लिखी जा चुकी है, उस वार्ता के शब्दो पुनः सुन–सुनकर मिलान कर फर्द ट्रान्सकीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार करना प्रारम्भ किया गया। फर्द ट्रान्सकीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो वक्त 05:45 पीएम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में तैयार करना शुरू किया गया था, जो पूर्ण की जाकर फर्द पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। उक्त रिकॉर्डिंग वार्ता को दो पेनड्राईव एवं एक मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करवाया गया। उक्त मेमोरीकार्ड को मूल मानते हुए एक कपड़े की थैली में डालकर सीलमोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त दोनो पेन ड्राईव खुली हालत में रखे गये। ट्रान्सक्रिप्ट निरीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक से तैयार करवायी गई। तत्पश्चात् दोनो गवाहान को कार्यवाही में गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रात्री विश्राम हेतु रवाना किया गया। परिवादी के गांव के आवागमन के साधन नहीं होने से परिवादी को ब्यूरो कार्यालय पर ही रहने हेतु सुविधा दी गई।

दिनांक 29.07.2023 को परिवादी श्री बिरमाराम नें निरीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे मोबाईल नं. 9799093852 पर सुमन चौधरी के मोबाईल नं. 9521121160 से फोन आया तथा कहा कि तुम्हारे मुकदमें में मैं एफ.आर. लगा दूंगी। अब मेरा ट्रान्सफर हो चुका है। इसलिये तुम एक–दो दिन बाद आकर मुझसे मिलो। परिवादी के बतायेनुसार सुमन चौधरी द्वारा पूर्व में परिवादी से प्राप्त की गई रिश्तव राशि 10,000 रूपये के अलावा भी प्रकरण में एफ.आर. लगाने के लिये और रिश्वत राशि मांग करने की पूर्ण संभावना है। परिवादी के कहेनुसार आईन्दा एक बार पुनः परिवादी को सुमन चौधरी के पास भेजकर सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी व कार्यालय में मौजूद श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. 72 का आपस में परिचय करवाया जाकर उनके परस्पर मोबाईल नम्बरो का आदान–प्रदान करवाया गया तथा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर के संचालन की प्रकिया दोनो को समझाई गई तथा परिवादी नें कहा कि आईन्दा निरीक्षक पुलिस या श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. को सूचित करूंगा। परिवादी नें बताया कि मेरा गांव जोधपुर से नजदीक है तथा मेरे गांव से जोधपुर के आवागमन के साधन सुगम है, इसलिये मेरे द्वारा संपर्क करने पर जोधपुर से तुरन्त मेरे गांव बाकलिया पीपाड पहुंचा जा सकता है। तत्पश्चात् परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया तथा श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. को मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर के जोधपुर के लिये रवाना किया गया।

दिनांक 31.07.2023 को प्रातः निरीक्षक पुलिस मय कार्यवाही से सम्बंधित दस्तावेजात सहित ब्यूरो कार्यालय पाली से रवाना होकर जोधपुर पहुंचे एवं श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. से मिला। तत्पश्चात् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. को आवश्यक हिदायत के साथ डिजीटल वॉयस रिकार्डर देकर परिवादी श्री बिरमाराम से संपर्क करने हेतु उसके गांव बांकलिया की तरफ रवाना किया गया। उसी रोज दोपहर बाद श्री लक्ष्मणदान हैड

Scanned with CamScanner

कानि. निरीक्षक पुलिस के पास जोधपुर पहुंचा तथा स्वीचऑफशुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया एवं बताया कि मैं जोधपुर से निजी वाहन से रवाना होकर गांव बांकलिया पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री बिरमाराम व परिवादी का भतीज श्री गौतम मैन रोड़ पर ही मोटरसाईकिल सहित गांव के बाहर उपस्थित मिले। जिस पर हम तीनो अपने–अपने वाहनो से बांकलिया गांव से रवाना होकर पीपाड़ शहर पहुंचे, जहां पर पुलिस थाना पीपाड़ शहर से कुछ दूरी पहले परिवादी श्री बिरमाराम के भतीज श्री गौतम द्वारा संदिग्ध अधिकारी सुमन चौधरी के बारे में मालूमात की तो उसने पुलिस थाना पीपाड़ शहर में ही परिवादी को बातचीत के लिये बुलाया। जिस पर मन् हैड कानि. नें डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर परिवादी श्री बिरमाराम को सुपुर्द कर थाना पीपाड़ शहर की तरफ जरिये मोटरसाईकिल के रवाना किया तथा मै थाने के बाहर ही गोपनीय स्थान पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए वाहन में ही बैठा रहा। मैंने परिवादी को थाने में जाते हुए देखा। काफी समय पश्चात् परिवादी व उसका भतीज गौतम पुलिस थाना पीपाड से बाहर आये तथा अपनी मोटरसाईकिल मेरे पास आये तथा बन्द हालत में डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन हैड कानि. को सुपुर्द किया। तत्पश्चात् हम एकान्त स्थान पर गये, जहां पर परिवादी नें बताया कि मेरी सुमन चौधरी से वार्ता हो गयी है, जिसने मेरे विरूद्व दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने के लिये 10000 रूपये और मांगे है। साथ ही परिवादी नें बताया कि आरोपिया को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था होते ही मैं आपको सूचित कर दूंगा, तब आप आ जाना। परिवादी नें बताया कि मैं एक किसान हूं तथा मेरे गांव से सीधा पाली आने–जाने का कोई साधन नहीं है तथा समय भी बहुत लगता है, इसलिये मैं अग्रिम कार्यवाही के लिये जोधपुर तक आ सकता हूं या मेरे गांव व इसके आस–पास आकर अग्रिम कार्यवाही हेतु मुलाकात करना मेरे लिये सुविधाजनक रहेगा। इस पर परिवादी को अवगत कराया कि आपकी सुविधानुसार अग्रिम कार्यवाही संपादित की जायेगी। उसके बाद निर्देशानुसार मैंने परिवादी व गौतम को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत कर वहां से रवाना होकर आपके पास आया हूं। तत्पश्चात् निरीक्षक पुलिस नें डिजीटल वॉयस रिकार्डर को चालू कर रिकार्ड वार्ता को सुना तो श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. द्वारा बताये तथ्यो की पुष्टि हुई तथा संदिध अधिकारी द्वारा परिवादी के विरूद्व दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने व परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण में मदद करने की ऐवज में पूर्व में लिये गये 10,000 रूपये की सहमति देते हुए 10,000 रूपये और मांगने की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर बन्द कर निरीक्षक पुलिस के कब्जा में सुरक्षित रखा। वार्ता की फर्द ट्रास्क्रीप्ट आईन्दा परिवादी व गवाहान की उपस्थिति में मूर्तिब करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 01.08.2023 को निरीक्षक पुलिस एवं श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं दस्तावेजात के जरिये निजी वाहन रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पाली पहुचे तथा कार्यवाही में अब तक मांग सत्यापन से सम्बंधित व मांग सत्यापन वार्ता का शिल्डशुदा मेमोरी कार्ड का पैकेट व दो पेनड्राईव खुली हालत में श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक (मालखाना प्रभारी) को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये।

दिनांक 04.08.2023 को प्रातः श्री रूपसिंह निरीक्षक पलिस मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, कार्यवाही से सम्बंधित पत्रावली, मन् पारस सोनी अति. पुलिस अधीक्षक, श्री लक्ष्मणदान हैड कानि व अवतार सिंह के जरिये निजी वाहन के अग्रिम कार्यवाही हेतु जोधपुर की तरफ रवाना हुऐ। अग्रिम कार्यवाही में अचानक सूचना मिलने पर सहयोग हेतु जाब्ता, ट्रेपबॉक्स, स्वतंत्र गवाहान एवं दो महिला कानि, ट्रेप बॉक्स, फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी एवं कम्प्युटर, प्रिन्टर आदि उपकरणो की आवश्यकता रहेगी। अतः मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस को मय जाब्ता व आवश्यक उपकरणो के कार्यालय से रवाना होकर रोहट के आस–पास ही अपनी उपस्थिति रखने हेतु निर्देशित किया है। तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त हमराहियान के जोधपुर

Scanned with CamScanner

पहुंचा एवं परिवादी की सूचना हेतु मुकीम हुआ। तत्पश्चात् निरीक्षक पुलिस नें अपने मोबाईल नं. 9571272412 से परिवादी श्री बिरमाराम के मोबाईल नं. 9799093852 पर कॉल कर संपर्क किया तो श्री बिरमाराम नें बताया कि आज सुमन चौधरी के मेरे से रिश्वत राशि लेने की संभावना है, इसलिये कार्यवाही के लिये आ जाओ। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस को मय जाब्ता, स्वतंत्र गवाहान एवं दो महिला कानि, ट्रेप बॉक्स, फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी एवं कम्प्युटर, प्रिन्टर आदि उपकरणो सहित रोहट के आस–पास मौजूद है, उन्हे वहां से रवाना होकर पीपाड़ की तरफ आने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक पुलिस, श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. व श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक के जरिये निजी वाहन से मय कार्यवाही से सम्बंधित दस्तावेजात एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर के रवाना होकर डांगियावास पहुंचे, जहां परिवादी श्री बिरमाराम से जरिये मोबाईल संपर्क किया तो उसने कहा कि मैं आपको पीपाड़ में रेलवे फाटक के पास मिलूंगा। जिस पर निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई।

उसी रोज वक्त 01:00 पी.एम. पर निरीक्षक पुलिस, मन् अति. पुलिस अधीक्षक, श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. व श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक के जरिये निजी वाहन से मय कार्यवाही से सम्बंधित दस्तावेजात एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर के गांव रियां मुख्य रोड़ पर पहुंचे, जहां पर सरकारी बोलेरो वाहन में श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक, गवाहान श्री रूपसिंह व मोतीलाल, महिला कानि. श्रीमति कौशल्या मय ट्रैपबॉक्स, कम्प्युटर प्रिन्टर, फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी व अन्य आवश्यक उपकरणो के तथा श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस अपनी निजी कार में श्री पूनाराम कानि., श्रीमति राधा महिला कानि. 1054 व सुश्री निर्मला महिला कानि. 373 आर.पी.एल. पाली के हाजिर मिले। यहां पर अग्रिम कार्यवाही के बारे में विचार–विमर्श किया गया तथा तय किया कि परिवादी द्वारा रिश्वत राशि पेश करने पर फिनॉफ्थलीन पाउडर की कार्यवाही हेतु एक सुरक्षित स्थान व लाईट इत्यादि की आवश्यकता रहेगी। इस हेतु परिवादी के कहेनुसार निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस व उसके साथ आये जाब्ता व श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक को उसके साथ रवाना कर उनको पीपाड़ के आसपास ही गोपनीय स्थान पर खड़े रहने हेतु निवेदन किया गया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें पीपाड़ जोधपुर हाईवे पर गोपनीयता बरतते हुए खडे रहने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री लक्ष्मणदान हैड कानि, श्री चम्पालाल हैड कानि, गवाहान श्री रूपसिह व मोतीलाल, श्रीमति कौशल्या महिला कानि को हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन परिवादी द्वारा बतायेनुसार रवाना रवाना होकर रेलवे फाटक पीपाड़ पहुंचे, जहां परिवादी श्री बिरमाराम उसके भतीज श्री गौतम के साथ मोटरसाईकिल सहित उपस्थित मिला। परिवादी नें निरीक्षक पुलिस को बताया कि दिनांक 31.07.2023 को श्री लक्ष्मणदान मेरे गांव बांकलिया आये। मैं व गौतम उन्हे मेरी मोटरसाईकिल से बांकलिया में मिला। हम तीनो अपने–अपने वाहनो से बांकलिया गांव से रवाना होकर पीपाड़ शहर पहुंचे, जहां पर पुलिस थाना पीपाड़ शहर से कुछ दूरी पहले मेरे भतीज श्री गौतम द्वारा सुमन चौधरी के बारे में मालूमात की तो उसने पुलिस थाना पीपाड़ शहर में ही मुझे बातचीत के लिये बुलाया। श्री लक्ष्मणदान नें डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर मुझे सुपुर्द कर थाना पीपाड़ शहर की तरफ मोटरसाईकिल से रवाना किया। जिस पर मैं व गौतम मोटरसाईकिल से रवाना होकर थाना पीपाड़ में गये तथा सुमन मैडम अपने कार्यालय कक्ष में मिली एवं उनसे वार्ता तो कि सुमन चौधरी नें मेरे विरूद्व दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने के लिये 10000 रूपये और मांगे है तथा मेरे द्वारा पूर्व में दिये गये 10,000 रूपये भी लेने के बारे में बातचीत की। तत्पश्चात् मै व गौतम थाने से बाहर आये एवं श्री लक्ष्मणदान के पास गये एवं डिजीटल

Scanned with CamScanner

वॉयस रिकार्डर उनको सुपुर्द किया। उनके द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा। तत्पश्चात् हम तीनो वहां से एकान्त स्थान पर गये, जहां पर मैनें श्री लक्ष्मणदान को सुमन चौधरी द्वारा 10000 रूपये की और मांग करने की बात बताई। इस तरह श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. द्वारा दिनांक 31.07.2023 को बताई गई बात की पुष्टि परिवादी द्वारा की गई। परिवादी नें बताया कि कल दिनांक 03.08.2023 को सुमन चौधरी उप निरीक्षक पुलिस का फोन श्री गौतम के मोबाईल नं. 8003327324 आया तथा कहा तुरन्त पीपाड़ थाने पर पहुंचो। मैंने सोचा सुमन चौधरी मेरे विरूद्व दर्ज प्रकरण में मेरे तुरन्त नहीं जाने पर मेरी मदद नहीं करेगी तथा फाईल में मेरा नुकसान कर देगी। इसलिये मैं आपको सूचना नहीं दे सका तथा तुरन्त पीपाड़ थाने पर पहुंचा, जहां पर सुमन चौधरी नें मुझ पर रिश्वत राशि देने के लिये दबाव बनाया। जिस पर मैंने डरकर उस समय सुमन चौधरी को 5,000 रूपये पीपाड़ थाना में ही दे दिये। मेरे द्वारा सुमन चौधरी को दिये गये 5,000 रूपये के नोटो का फोटू श्री गौतम नें अपने मोबाईल फोन से खीचा था। परिवादी नें बताया कि शेष 5,000 रूपये रिश्वत राशि लेकर आज सुमन चौधरी नें मुझे बुलाया है। सुमन चौधरी द्वारा मांगे जा रहे 5000 रूपये साथ लेकर आया हूं। तत्पश्चात् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी से समझाईश की कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाने की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु एक सुरक्षित व बिजली आपूर्ति वाले स्थान की आवश्यकता है। जिस पर परिवादी श्री बिरमाराम नें बताया कि पीपाड़ शहर में ही सिंधीपुरा राजनगर मोहल्ले में मेरा मकान है, जहां बैठने, बिजली इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था है।

जिस पर निरीक्षक पुलिस, श्री लक्ष्मणदान हैड कानि, श्री चम्पालाल हैड कानि, गवाहान श्री रूपसिह व मोतीलाल, श्रीमति कौशल्या महिला कानि मय कम्प्युटर प्रिन्टर, फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी व ट्रेपबॉक्स, कार्यवाही से सम्बंधित दस्तावेजात व डिजीटल वॉयस रिकार्ड तथा आवश्यक अन्य उपकरणो सहित बोलेरो वाहन से व परिवादी व श्री गौतम अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर सिंधीपुरा राजनगर मोहल्ले में स्थित परिवादी के मकान पर पहुंचे, जहां परिवादी द्वारा मकान के आगे बने बैठक के कमरे में बैठने की व्यवस्था कर विद्युत इत्यादि सुविधा उपलब्ध करवायी गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री बिरमाराम नें आरोपिया सुमन चौधरी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये रूबरू गवाहान निरीक्षक पुलिस को पेश किये। जिस पर निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो का विवरण फर्द पेशकशी भारतीय मुद्रा में अंकित करवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत राशि को एक अखबार पर बिछाये जाकर साथ लायी गई फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी में से उक्त सभी नोटो पर हल्का–हल्का फिनॉफ्थलीन पाउडर श्रीमति कौशल्या महिला कानि. से लगवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री मोतीलाल से लिवायी जाकर उसके पास उसका मोबाईल फोन रहने दिया गया तथा फिनॉफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वत राशि 5000 रूपये श्रीमति कौशल्या महिला कानि. से परिवादी के पेन्ट की आंगे की दाहिनी जेब में रखवाये गये। निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी एवं उपस्थितान को आवश्यक हिदायत दी गई। कार्यवाही से सम्बंधित संपूर्ण विस्तृत हालात फर्द पेशकशी रिश्वत राशि एंव सुपुर्दगी नोट व फिनॉफ्थलीन पाउडर में उल्लेख किया गया तथा फर्द पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि के नोटो पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाने वाली श्रीमति कौशल्या महिला कानि. को मय फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी के ब्यूरो कार्यालय पाली के लिये रवाना किया गया।

तत्पश्चात् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुमन चौधरी उप निरीक्षक की उपस्थिति की जानकारी करने हेतु परिवादी के भतीज श्री गौतम के मोबाईल नं. 8003327324 से सुमन चौधरी के मोबाईल नं. 95211–21160 पर कॉल करवाया गया, मगर सुमन चौधरी नें कॉल

Scanned with CamScanner

रिसिव नहीं किया। कुछ समय पश्चात् सुमन चौधरी नें श्री गौतम को मैसेज किया कि अभी मैं बाहर हूं, शाम को बात करती हूं। जिस पर निरीक्षक पुलिस द्वारा सुमन चौधरी के कॉल का शाम तक यहीं पर रूककर इन्तजार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री बिरमाराम, परिवादी के भतीज श्री गौतम व आरोपिया सुमन चौधरी के मध्य दिनांक 31.08.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग की वार्ता, जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है, को परिवादी व रूबरू गवाहान के कम्प्युटर के माध्यम से सुन–सुनकर व समझ समझकर शब्द ब शब्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार करना प्रारम्भ किया गया, जो वक्त 07:20 पीएम. पर पूर्ण की जाकर फर्द पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। उक्त रिकॉर्डिंग वार्ता को दो पेनड्राईव एवं एक मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करवाया गया। उक्त मेमोरीकार्ड को मूल मानते हुए एक कपड़े की थैली में डालकर सीलमोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त दोनो पेन ड्राईव खुली हालत में रखे गये। ट्रान्सकप्ट निरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक से तैयार करवायी गई।

उसी रोज वक्त 07:37 पी.एम. पर परिवादी के भतीज श्री गौतम के मोबाईल नं. 8003327324 से आरोपिया सुमन चौधरी के मोबाईल नं. 9521121160 पर जरिये वाट्सऐप कॉल वार्ता करवायी गई तो आरोपिया सुमन चौधरी नें बताया कि मैं थाने पर हूं, आ जाओ। परिवादी नें बताया कि सुमन चौधरी कभी कार में व कभी स्कूटी पर आ जाती है, वह मेरे से कार या स्कूटी पर भी थाना परिसर में या आस–पास रिश्वत राशि प्राप्त कर रवाना हो सकती है, उसे पीछा करके भी पकड़ना पड़ सकता है। जिस पर निरीक्षक पुलिस द्वारा मन् अति. पुलिस अधीक्षक व श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस को मय जाब्ता के पुलिस थाना पीपाड़ की तरफ आने हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री बिरमाराम को डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर उनके भतीज श्री गौतम के साथ जरिये मोटरसाईकिल पुलिस थाना पीपाड़ की तरफ आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया तथा परिवादी के पीछे–पीछे ही निरीक्षक पुलिस व हमराह जाब्ता जरिये बोलेरो वाहन, कार्यवाही से सम्बंधित दस्तावेजात, ट्रेपबॉक्स व आवश्यक उपकरणो सहित रवाना हुऐ।

कुछ समय पश्चात् परिवादी व उसका भतीज श्री गौतम पुलिस थाना पीपाड़ परिसर के अन्दर गये। जिस पर निरीक्षक पुलिस व हमराह जाब्ता नें पुलिस थाना पीपाड़ के सामने स्थित रोड़ गोपनीय रूप से सरकारी वाहन में ही बैठे रहकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। मन् अति. पुलिस अधीक्षक एवं श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस भी मय जाब्ता के भी अपने–अपने निजी वाहनो में गोपनीय स्थान पर मुकीम रहे। परिवादी तथा श्री गौतम थाना परिसर में हमे दिखायी दे रहे थे। कुछ देर पश्चात् थाने की रोशनी से परिवादी गौतम की मोटरसाईकिल से रवाना होकर उपखण्ड कार्यालय पीपाड़ की तरफ जाने लगा। जिस पर निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता व वाहन के परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर उपखण्ड कार्यालय पीपाड़ के आगे की तरफ आम रोड़ पर परिवादी व गौतम खड़े मिले। जिस पर निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी के भतीज श्री गौतम नें बताया कि सिंधीपुरा बिरमाराम से मकान से रवाना होने के पश्चात् रास्ते में सुमन चौधरी का वाट्सऐप कॉल मेरे उक्त मोबाईल नम्बर पर आया तथा उन्होने बताया कि मै थाने पर खड़ी इन्तजार कर रही हूं, जल्दी आ जाओ, जिस पर मैने कहा हम आ रहे है। इसके कुछ देर बाद पीपाड़ थाने के पास पहुंचने पर सुमन चौधरी का पुनः वॉट्सऐप कॉल आया एवं कहा कि मेरे आंखो में संक्रमण है, इसलिये अब मैं तुम्हे नही मिलूंगी। हम पुलिस थाना पीपाड़ में गये, वहां सुमन चौधरी की तलाश की, परन्तु वह हमें नहीं मिली। संभवतः उसको कोई शक होने के कारण उसने आंखो

Scanned with CamScanner

के संक्रमण का बहाना कर मिलने से इनकार कर दिया। संभवतया कल सुबह सुमन चौधरी हमसे रिश्वत राशि ले लेगी।

जिस पर निरीक्षक पुलिस द्वारा गवाह श्री मोतीलाल से परिवादी बिरमाराम को सुपुर्दशुदा फिनॉफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वत राशि 5,000 रूपये उसके जेब से निकलवायी जाकर एक कागज के लिफाफा में रखवाये जाकर उक्त राशि ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवायी गई। श्री बिरमाराम नें बताया कि मेरा फोन आज चार्ज नहीं है। अतः मेरे से वार्ता करने के लिये मेरे भतीज श्री गौतम के मोबाईल नं. 9461039427 पर कॉल किया जाये। तत्पश्चात् परिवादी श्री बिरमाराम व उसके भतीज गौतम को कार्यवाही में गोपनियता बरतने तथा आरोपिया द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु पुनः संपर्क करने पर निरीक्षक पुलिस को सूचित करने आदि की आवश्यक हिदायत कर उनको रवाना किया गया। निरीक्षक पुलिस द्वारा मन् अति. पुलिस अधीक्षक व उप अधीक्षक पुलिस को मय जाब्ता के पीपाड़ जोधपुर हाईवे पर गोपनीय स्थान पर मिलना तय कर रवाना होने हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान, ट्रेपबॉक्स, डिजीटल वॉयस रिकार्डर, कम्प्युटर–लेपटॉप, प्रिन्टरण एवं अन्य उपकरणो सहित जरिये सरकारी बोलेरो वाहन रवाना होकर पीपाड–जोधपुर हाईवे पर स्थित दांतीवाड़ा के पास पहुचे एवं मन् अति. पुलिस अधीक्षक से मिले। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा जोधपुर रूकने का निर्णय लिया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान तथा अन्य जाब्ता को श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय पाली के लिये रवाना किया गया।

दिनांक 05.08.2023 को निरीक्षक पुलिस नें अपने मोबाईल नं. 9571272412 से परिवादी के कहेनुसार उसके भतीज श्री गौतम के मोबाईल नं. 9461039427 पर कॉल कर अग्रिम कार्यवाही के बारे में परिवादी से वार्ता की तो उसने बताया कि हमारे द्वारा आरोपिया सुमन चौधरी के विरूद्व ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाही, कल दिन भर हमारे पीपाड़ में मौजूद होने, ब्यूरो स्टाफ व वाहनो के पीपाड़ में मौजूद होने के कारण सुमन चौधरी को उसके विरूद्व की जा रही कार्यवाही का शक हो गया है, इसलिये वह अब मेरे से कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगी। इस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि यदि सुमन चौधरी रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु आपसे संपर्क करे तो तुरन्त ही निरीक्षक को सूचित करने की हिदायत की। परिवादी नें कहा कि मैं एक–दो दिन तक प्रयास करता हूं। यदि रिश्वत राशि लेन–देन की संभावना नहीं होगी तो एक–दो दिन में आपके कार्यालय में उपस्थित होकर रिश्वत राशि पुनः प्राप्त कर लूंगा। तत्पश्चात् निरीक्षक पुलिस, मन् अति. पुलिस अधीक्षक, श्री लक्ष्मणदान हैड कानि एवं अवतार सिंह के मय डिजीटल वॉयसे रिकार्डर, कार्यवाही से सम्बंधित दस्तावेजात एवं लेपटॉप के जरिये निजी वाहन के जोधपुर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पाली पहुंचे तथा दिनांक 31.07.2023 को परिवादी, उसके भतीज गौतम एवं आरोपिया सुमन चौधरी के मध्य रिश्वत राशि मांग वार्ता के शिल्डशुदा मेमोरी कार्ड को श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया।

दिनांक 07.08.2023 को परिवादी श्री बिरमाराम व उसका भतीज श्री गौतम ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। श्री बिरमाराम नें निरीक्षक पुलिस को बताया कि हमारे द्वारा आरोपिया सुमन चौधरी के विरूद्व ब्यूरो कार्यालय पाली द्वारा करवायी जा रही कार्यवाही, दिनांक 04.08.2023 को दिन भर हमारे पीपाड़ में मौजूद होने तथा ब्यूरो स्टाफ व वाहनो के पीपाड़ में मौजूद होने के कारण सुमन चौधरी को उसके विरूद्व की जा रही कार्यवाही का शक हो गया है, इस कारण वो अब हमारे से किसी प्रकार की रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगी। इसलिये मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करवायी गई रिश्वत राशि पुनः लौटाने की कृपा करावे।

Scanned with CamScanner

परिवादी श्री बिरमाराम नें उक्त तथ्यो का एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर निरीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेपबॉक्स में से परिवादी द्वारा सुपुर्द की गई रिश्वत राशि 5,000 रूपये के नोटो को निकलवाकर उन नोटो को तीन–चार बार झटककर फिनॉफ्थलीन पाउडर साफ करवाया गया तथा उक्त राशि को परिवादी को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् परिवादी व उसके भतीज श्री गौतम को रूखसत किया गया।

इस प्रकार अब तक की संपूर्ण कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री बिरमाराम एवं उनके परिजन श्री जयराम, श्री खिंयाराम, श्रीमति सुशिला, गौतम उर्फ मुकेश, राकेश, दिनेश व श्रीमति कंवराई के विरूद्व पुलिस थाना पीपाड़ जिला जोधपुर ग्रामीण में दिनांक 26.06.2023 को श्री परसाराम द्वारा जमीन विवाद को लेकर प्रकरण सं. 208/2023 धारा 447, 427, 279 आई.पी.सी. दर्ज कराया। इस प्रकरण का अनुसंधान सुमन कुमारी उप निरीक्षक, पुलिस थाना पीपाड़ द्वारा किया जा रहा था। परिवादी श्री बिरमाराम अपने व अपने परिवारजनो के विरूद्व दर्ज प्रकरण को झूठा बताते हुए सही अनुसंधान करने, मदद करने, अपने पुत्र, भतीजो का मुकदमा में से नाम निकलवाने के लिये सुमन कुमारी से मिला तो उसने 12,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर परिवादी द्वारा कार्यवाही के लिये ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय पर रिपोर्ट दी। इस पर ब्यूरो द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन कराया तो मांग सत्यापन के दौरान सुमन कुमारी नें परिवादी से उसके पुत्र व दो भतीजो सहित कुल 03 नाम इस प्रकरण से निकालने के लिये परिवादी से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 26.07.2023 को 10,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर ली तथा 2000 रूपये और देने के लिये कहा। दिनांक 29.07.2023 को परिवादी के मोबाईल नं. 9799093852 पर सुमन कुमारी के मोबाईल नं. 9521121160 से फोन आया तथा कहा कि तुम्हारे मुकदमें में मैं एफ. आर. लगा दूंगी। अब मेरा ट्रान्सफर हो चुका है। इसलिये तुम एक–दो दिन बाद आकर मुझसे मिलो। परिवादी व उसके परिजनो के विरूद्व दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने के लिये और रिश्वत राशि की मांग करने की संभावना के मध्यनजर दिनांक 31.07.2023 एक बार पुनः रिश्वत राशि का मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपिया द्वारा एफ.आर. लगाने के लिये पूर्व में दिनांक 26.07.2023 को दिये गये 10,000 रूपये के अलावा और 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई, उक्त वार्ता ब्यूरो द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई।

दिनांक 03.08.2023 को सुमन कुमारी उप निरीक्षक पुलिस का परिवादी के भतीज श्री गौतम के मोबाईल नं. 8003327324 पर कॉल आया तथा कहा तुरन्त पीपाड़ थाने पर पहुंचो। जिस पर परिवादी नें सोचा कि सुमन चौधरी मेरे विरूद्व दर्ज प्रकरण में मेरे तुरन्त नहीं जाने पर मेरी मदद नहीं करेगी तथा फाईल में मेरा नुकसान कर देगी। इसलिये ब्यूरो को सूचना नहीं दे सका तथा तुरन्त पीपाड़ थाने पर पहुंचा, जहां पर सुमन कुमारी नें परिवादी पर रिश्वत राशि देने के लिये दबाव बनाया। जिस पर परिवादी नें डरकर उस समय सुमन कुमारी को 5,000 रूपये पीपाड़ थाना में ही और दे दिये। परिवादी द्वारा सुमन कुमारी को दिये गये 5,000 रूपये के नोटो का फोटो हमराह परिवादी के भतीज श्री गौतम नें अपने मोबाईल फोन से खीचा। दिनांक 04.08.2023 को ब्यूरो द्वारा ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया, मगर आरोपियो को दिनांक 04.08.2023 को परिवादी व ब्यूरो दल को वाहनो सहित दिन भर पीपाड़ कस्बे में मौजूद होने के कारण या अन्य कारणो से भनक लग जाने से रिश्वत राशि का आदान–प्रदान नहीं हो सका।

इस प्रकार आरोपिया सुमन कुमारी उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण को ए.सी.बी. की कार्यवाही की भनक लग जाने से रिश्वत राशि लेन–देन की कार्यवाही नही हो सकी, मगर दिनांक 26.07.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबंधी एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 31.07.2023 को पुनः रिश्वत

Scanned with CamScanner

राशि मांग सत्यापन वार्ता से आरोपिया सुमन कुमारी उप निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के कार्य के लिये रिश्वत राशि की मांग करना तथा राशि प्राप्त करना स्पष्ट है। अतः आरोपिया सुमन कुमारी उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाता है।

अतः आरोपिया सुमन कुमारी पुत्री श्री खिराजराम उम्र 36 वर्ष पेशा नोकरी निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर कमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

12/09/2023

(पारस सोनी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली–द्वितीय

Scanned with CamScanner

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती सुमन कुमारी, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर ग्रामीण के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 247/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

15.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2770-73 दिनांक 15.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय।

15.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।